NATIONAL SEMINAR BY LEGAL LITERACY on the topic LEGAL LITERACY-A DIRE NEED FOR WOMEN



Legal Literacy - A Dire Need For Women

Sponsored by

Indian Council of Social Science Research (ICSSR) NWRC, Panjab University Chandigarh

Organised by

Legal Literacy Cell & Women Cell

20 February 2016



DAYANAND MAHILA MAHAVIDYALAYA **KURUKSHETRA (HARYANA)**

NAAC accredited grade B++

CALL FOR PAPERS

Participants are invited to contribute Papers on the Theme

Legal Literacy - A Dire Need for Women

One Day National Seminar in 2nd Week of February, 2016

Sponsored by
Indian Council of Social Science Research (ICSSR)
North Western Regional Centre, Punjab University, Chandigarh
Organized by Legal Literacy Cell & Women Cell
Dayanand Mahila MahaVidyalaya, Kurukshetra (Haryana)

Sub-theme; of the Seminar:-

- Gender Justice Need of the time (Challenge for Judiciary)
- Female Foeticide Role of Medical Profession
- · Protection of Women under Labour Laws
- Sexual Harassment of Women at Work place (A Legal Perspective)
- Empowering Women, Empowering Humanity
- Protection of Women through Domestic Violence Act A Critical Appraisal
- Issues and Concerns for Working Women
- The Immoral Traffic (Prevention Act 1956) A Review
- · Women Rights are Human Rights
- · Women and Health
- · Any other topic related to the main theme

The teachers interested in presenting paper are requested to send soft copy of the abstract in about 300 words by 25th January, 2016 at **dmmkkrcomp@gmail.com** typed in MS-Word, Times New Roman and Font Size-12, Double space on A4 paper size for the publication in Seminar Souvenir.

- Registration fee Rs.300/- (Teacher participant) payable in cash at the counter.
- Registration fee Rs.150/- (Research Scholars).

Organizing Committee

Dr. Vijay Lakshmi Singh Principal Ph. 01744-290981

Dr. (Mrs.) Naresh Joshi Secretary

Secretary 9996001472 Mrs. Manju Dhull

9416875896 Mrs. Asha Chaudhary

9996159179

Mrs. Mukta 9896150450 Mrs. Payal Anand Chaudhary

Convener Ph. 9896022601

Mrs. Sapna Malik Joint Secretary 9034073911

Dr. (Mrs.) Urmila Panghal

9416484458


Mrs. Veenu Madan 9996260144


Mrs. Bhanupriya 7404419193 Dr. (Mrs.) Suman Rajan Convener Ph. 9416291884

Mrs. Reena Sethi 8607023434

Mrs. Deepika 9671320058

Mrs. Santosh 9896411904








but in cities also. We all have to join hands to find out the solution of would

1

Manak Tanki







Report of the One Day National Seminar On Legal Literacy- A Dire Need for Women

One day National Seminar, Sponsored by ICSSR (NWRC) Punjab University Chandigarh on 20-2-2016 on the topic Legal Literacy – A Dire need for Women Was organized by Legal Literacy cell and Women of Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. The main objective of the seminar was to bring awareness about Women's Legal Right and remedies.

This seminar had provided a perfect Platform to enable delegates as well as experts to present their perceptions and graph a road map for further empowering Women regarding their rights. Through this seminar we wanted to develop faith and confidence in our legal system. In this seminar distinguished dignitaries eminent personalities have been able to ignite the spark through their illuminating discourses while addressing the esteemed house.

Inaugural session

The seminar Was inaugurated by lighting of auspicious lamp with the pray to get knowledge followed by chanting of Ved Mantras, All distinguished guests, dignitaries and persons of excellence were welcomed by Dr. Ram Prakash President Governing body, Dayanand Mahila Mahavidyalya, Chancellor, Gurukul Kangri Vishawavidyalya, Haridwar. Seminar was introduced by Dr. Suman Rajan Convener, women cell by telling the objectives of the Seminar.

Key note address was delivered by Dr. Rajpal Sharma Chairperson Law Department Kurukshetra University, Kurukshetra. Through his presentable and effective address, he was able to drive home his point on the subject.

Presidential address was given by Honourable president Governing body Dr. Ram Prakash ji. He was able to leave an indelible mark on the minds of audience. He emphasized that Legal Literacy is very much essential for Women empowerment.

Dr. Rajender Vidyalankar General Secretary Governing Body Dayanand Mahila Mahavidyalaya, OSD to Governor Himachal Pardesh, told that women not only faces problems in villagegbut in cities also. We all have to join hands to find out the solution of women related problems for a healthy society. Inaugural Session was conducted by Dr. Naresh Joshi, Secretary of the Seminar.

First plenary session was chaired by Dr. Mamta Mokta Director, women studies centre Himachal Pardesh University Shimla. She said laws are not enough unless implemented properly. Advocate Susan Anand from Punjab and Haryana High Court Chandigarh raised the question Why there was a need to have particular laws for women in society? Literacy for both men & women is essential.

Dr. Shipra Associate professor Punjab University, Chandigarh discussed various laws related to women. The delegates through their thought provoking presentation made a very lively atmosphere with direct connect with the audience and expressed their in valuable feedback regarding the seminar which was really motivating and inspiring factor for the organizers. Plenary session was conducted by Professor Sapna Arora.

Dr. Sucheta Gupta former Punjab Academic staff college Kurukshetra University, kurukshetra through her presentation gave knowledge about various laws like Domestic violence Act, P.N.O.T. Act, Dowry Prohibition Act. Etc. Second Plenary session was conducted by Mrs. Payal Anand Chaudhary.

Report of the seminar was read by Associate Professor Mrs. Payal Anand Chaudhary Convener Legal Literacy Cell. Total 91 delegates attended the seminar and 67 papers were presented.

Valedictory session was chaired by Dr. Reicha Tanwar, Director Women Studies and research centre Kurukshetra University, Kurukshetra. She emphasized on awareness of right as well duties.

Dr. R.K. Gupta, Director Institute of Law Kurukshetra University, Kurukshetra gave Valedictory Address. In his address he stressed upon the need of legal literacy for women in society so that they can have their place in society. Valedictory session was conducted by convener Women Cell Dr. Suman Rajan.

Dr. Vijay Lakshmi Singh Principal of the College extended vote of thanks to all the distinguished guests, delegates and specially the students with the assurance that college will organize such activities in future for the benefit of students and society. Seminar was concluded with National Anthem.

दयानन्द महिला महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र प्रैस-नोट

आज दिनांक 20.02.16 को दयानन्द महिला महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र में महिला प्रकोष्ठ तथा कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ की ओर आज के दौर में कानूनी साक्षरता की महिलाओं के लिए आवश्यकता विषय परः एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आरम्भ में महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के प्रधान माननीय डॉ. रामप्रकाश जी ने सभागार को शहीद श्री शुक्रराज शास्त्री के नाम पर समर्पित किया। तत्पश्चात् उनके चित्र का अनावरण किया। इसके बाद प्राचार्या डॉ. विजयलक्ष्मी सिंह ने डॉ. रामप्रकाश जी को, मुख्य सचिव डॉ. राजेन्द्र विद्यालंकार ने प्रो. राजपाल शर्मा को, प्राचार्या ने डॉ. ममता मोक्ता को, एडवोकेट दीनानाथ जी ने प्रो. राजपाल शर्मा जी को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। तत्पश्चात् डॉ. रामप्रकाश जी, प्राचार्या डॉ. विजयलक्ष्मी सिंह, डॉ. राजेन्द्र विद्यालंकार, प्रो. ममता मोक्ता, डॉ. राजपाल शर्मा, एडवोकेट श्री दीनानाथ जी ने दीप प्रज्जवलन तथा वेदमंत्रों के उच्चारण से कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इसके पश्चात् महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. विजयलक्ष्मी सिंह जी ने मुख्य अतिथि डॉ. रामप्रकाश तथा अन्य विभूतियों का स्वागत किया। महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका डॉ. सुमन राजन ने संगोष्ठी के विषय में जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डाॅ. रामप्रकाश जी ने शहीद शुक्रराज शास्त्री के विषय में बताया कि स्वामी दयानन्द रचित सत्यार्थप्रकाश से बहुत अधिक प्रभावित थे। सत्यार्थप्रकाश ऐसी पुस्तक है जिसने विश्व के अनेक देशों फिजी, मोरिशस आदि में भी जागृति पैदा की, शहीद शुक्रराज शास्त्री ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बलिदान दिया। डॉ. रामप्रकाश जी ने कानूनी-साक्षरता पर बल देते हुए कहा कि वर्तमान समय में नारी का केवल शिक्षिति ही नहीं बल्कि कानूनी रूप से भी शिक्षित होना अनिवार्य है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र के प्रो. राजपाल शर्मा ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने महिलाओं के शिक्षित होने पर बल दिया क्योंकि एक महिला दो परिवारों को शिक्षित कर सकती है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रथम गुरु उसकी माँ ही होती है, वह एक उत्तम प्रबन्धक बनती है। सत्र के अंत में महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के सचिव डॉ. राजेन्द्र विद्यालंकार जी ने महिलाओं की वर्तमान दशा और दिशा से परिचित करवाया। उन्होंने कहा कि आज की महिलाओं को न केवल गाँवों में बल्कि शहरों में भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम सभी को मिलकर इन कठिनाइयों का हल खोजना चाहिये तथा खूबसूरत समाज का निर्माण करना चाहिये। अन्त में डॉ. विद्यालंकार जी ने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। डॉ. नरेश जोशी ने मंच का संचालन बड़ी खूबसूरती से किया। महाविद्यालय की प्राचार्या ने प्रो. राजपाल शर्मा व डॉ. ममता मोक्ता को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रथम सत्र की अध्यक्षता डॉ. ममता मोक्ता व डॉ. शिप्रा गुप्ता ने की। सर्वप्रथम कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ की संयोजिका श्रीमती पायल आनन्द चौधरी ने प्राचार्या डॉ. विजयलक्ष्मी सिंह को, डॉ. सुमन राजन ने डॉ. सूजन आनन्द का, श्रीमती पायल आनन्द ने डॉ. शिप्रा गुप्ता को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका डॉ. सुमन राजन ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। प्रो. ममता मोक्ता ने कहा कि कानून केवल बनाकर रखने के लिए नहीं होता, उसका सदुपयोग होना भी आवश्यक है। आज महिलाओं से जुड़े कानूनों की झड़ी सी लग गई है फिर भी अपराध कम नहीं हो रहे हैं। कानून बनाने से ही समाज की उन्नित नहीं होगी, जरुरत है चिन्तन मनन करने की। डॉ. सूजन आनन्द ने बताया कि -महिलाओं के लिए ही अलग से कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उन्होंने कहा कि -समाज में सभी का साक्षर होना अनिवार्य है चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। डॉ. सुचेता

dent

cy

गुप्ता ने बताया कि वर्तमान समय में न्यायलय के समक्ष अनेक प्रकार की चुनौतियाँ भी हैं। इसके साथ ही समाज को जागरूक होना भी अत्यन्त आवश्यक है। मुख्य रूप से महिलाओं में जागरूकता तथा साक्षरता का होना जरुरी है तभी वो वर्तमान में अपने आपको सुरक्षित रख सकती है। डॉ. सूजन आनन्द ने कहा कि – कानून ने स्त्री को उड़ने के लिये पंख दिये हैं किन्तु उड़ना किस तरीके से है, किस दिशा में उड़ना है ये बात महिलाओं को बताने की आवश्यकता है। यह जरुत महिलाओं को कानूनी शिक्षा देकर पूरी की जा सकती है। उन्होंने कहा –

'रखते हैं जो हौंसला आसमां को छूने का, वो नहीं डरते धरा पर गिर जाने से।'

समापन सत्र की अध्यक्षता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र की महिला शोध केन्द्र की अध्यक्ष डॉ. ऋचा तंवर ने की। महाविद्यालय की प्राचार्या ने डॉ. ऋचा तंवर, डॉ. आर.के.गुप्ता को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ की संयोजिका श्रीमती पायल आनन्द चौधरी ने सेमीनार रिपोर्ट प्रस्तुत की। डॉ. आर.के. गुप्ता ने समापन वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए कानूनी रूप से साक्षर होना अनिवार्य है तभी वो वर्तमान में अपनी पहचान स्थापित कर सकती है। महिलाओं का कानूनी रूप से साक्षर होना आज की मुख्य आवश्यकता भी है। डॉ. ऋचा तंवर ने अध्यक्षीय सम्भाषण प्रस्तुत किया तथा संगोष्ठी के विषय की सराहना की। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, दुष्कर्म आदि पर गहरी चिन्ता व्यक्त की। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि वर्तमान में कानूनों के दुरुप्रयोग के विषय में गहन चिन्तन करना भी आवश्यक है। महिलाओं का अपने कर्तव्यों के प्रति ही नहीं बल्कि अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। तत्पश्चात् महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. विजयलक्ष्मी सिंह जी ने सभागार में उपस्थित समस्त अतिथियों व प्रतिभागियों का व संगोष्ठी के आयोजकों का धन्यवाद किया तथा मुख्य अतिथि प्रो. ऋचा तंवर को स्मृति चिह्न भेंट किया। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंत में राष्ट्रीयगान का उच्चारण किया गया।

फोटो नम्बर : 9517 संगोष्ठी के मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए महाविद्यालय की प्राचार्या

9516 राष्ट्रीय संगोष्ट्री में मंच पर उपस्थित अतिथिगण।

9528 संगोष्ठी के शुभारम्भ पर दीप प्रज्जविलत करते हुए मुख्य अतिथि डॉ. रामप्रकाश जी।

9558 संगोष्ठी के विषय पर विचार व्यक्त करते हुए प्रबन्ध समिति के प्रधान डॉ. रामप्रकाश जी।

9584 प्रो. राजपाल शर्मा जी को स्मृति चिह्न भेंट करते हुए महासचिव एवं प्राचार्या

9790 संगोष्ठी के समापन सत्र की मुख्य अतिथि डॉ. ऋचा तंवर कानूनी साक्षरता पर प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए।

9781 समापन सत्र में मंच पर उपस्थित अतिथिगण एवं समापन वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए प्रो. आर.के. गुप्ता।

9520 प्रो. राजपाल शर्मा जी का स्वागत करते हुए प्रबन्ध समिति के महासचिव।